न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः–120/2018

अपीलान्टः– पेंपकंवर पुत्री श्री बलवन्तसिंह, जाति राजपूत निवासी तापू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्ट्सः–

1. चेनसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, (फौत)
   1/1 हड़मानसिंह गोदपुत्र चेनसिंह
   जाति राजपूत निवासी तापू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत तापू।

उपस्थित –

अपीलान्ट्स – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

रेस्पोडेन्ट्स–अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 27/11/19

अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखी है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि– अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 87 बीघा, खसरा नम्बर 478 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 488 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 493 रकबा 31 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 501/1 रकबा 09 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 599 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा मौजा ग्राम तापू तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। जिसमें अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह का 1/3 हिस्सा है। अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह फौत हो चुके है। जिनके उतराधिकारी अपीलान्ट व

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चेनसिंह है। अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह का उपरोक्त भूमि बाबत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 477 दिनांक 10.01.1983 को ग्राम पंचायत तापू द्वारा गलत तरीके से बिना अपीलान्ट को कोई सूचना दिए हल्का पटवारी से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पीठ पीछे केवल मात्र अपने नाम से म्युटेशन दर्ज करवा लिया। जबकि अपीलान्ट बलवन्तसिंह की जाइन्दा पुत्री हैं। जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं तथा मौके पर भी 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में 1/6 हिस्से के रूप में उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त चली आ रही हैं तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे की कोई जांच नहीं की गई इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की जांच किये पारित किया गया हैं जो एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता हैं। जिसके आधार पर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चेनसिंह फौत हो चुके है जिनके स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 हनुमानसिंह के नाम से चेनसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो गलत है व शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है। इस प्रकार बलवन्तसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 477 से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील अपीलान्ट प्रस्तुत हैं—ग्राम पंचायत तापू का अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध न्याय के विपरीत कानुनी गलत होने से काबिले खारिज हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण हैं। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत तापू द्वारा अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही कोई किसी प्रकार का नोटिस प्रेषित किया गया अपनी मनमर्जी से अपीलान्ट के पीठ पीछे अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया हैं, जबकि अपीलान्ट भी बलवन्तसिंह की जाइन्दा पुत्री व प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी हैं। उक्त नामान्तरकरण बलवन्तसिंह के फौत होने के 2 वर्ष बाद चोरी छिपे दर्ज करवाया गया है। अपीलाधिन नामान्तरकण में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया, जिसकी कोई सूचना भी अपीलान्ट को नहीं थी। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से काबिले खारिज हैं। मौके पर उक्त भूमि में अपीलान्ट का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में 1/6 हिस्से के रूप में कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। ग्राम पंचायत तापू ने अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पहले मौके पर कब्जा काश्त बाबत् कोई किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। यदि इस प्रकार की जांच की जाती तो अवश्य ही अपीलान्ट का मौके पर कब्जा सामने आता। बिना मौके पर जांच किए, यह अपीलाधीन नामान्तरकरण

सहायक कलेक्टर,

Scanned by CamScanner

पारित किया है, जो काबिले खारिज है। अपीलान्ट अनपढ महिला है जिसने अपने भाई रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पर पूर्ण विश्वास कर लिया कि अपने पिता बलवन्तसिंह के नाम से दर्ज भूमि में अपीलान्ट का नाम भी दर्ज करवा दिया हैं। लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण बलवन्तसिंह के फौत होने के 2 वर्ष बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने गलत तरीके से हल्का पटवारी से मिलीभगत कर केवल मात्र अपने नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। जबकि अपीलान्ट भी बलवन्तसिंह की जाइंदा पुत्री हैं। जिसको भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से में 1/2 यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा जरिये उत्तराधिकार अपने पिता बलवन्तसिंह से प्राप्त हुआ हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बलवन्तसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट को छोड़कर दर्ज किया गया हैं जो केवल इसी आधार पर काबिले खारिज हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी अपीलान्ट के पिता फौत होने के बाद उनके नाम से दर्ज भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 चेनसिंह के नाम दर्ज होने बाबत् विश्वास था तथा मौके पर भी अपीलान्ट रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के साथ उपरोक्त हिस्से अनुसार काश्त करनी शुरू कर दी व बलवन्तसिंह फौत हुए उस वक्त भी अपीलान्ट ने यह पूर्ण विश्वास कर लिया कि बलवन्तसिंह से प्राप्त भूमि में हमारे पिता बलवन्तसिंह के स्थान पर हमारा नाम दर्ज हो गया हैं। हाल ही में दिनांक 19.04.2018 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं हैं तो अपीलान्ट ने उक्त भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं होने का कारण हल्का पटवारी को पुछा तो हल्का पटवारी ने अपना पुराना रेकर्ड देखकर बताया कि आपके पिता बलवन्तसिंह फौत होने पर उनका फौतेदगी म्युटेशन संख्या 477 केवल मात्र चैनसिंह के नाम से दर्ज किया गया हैं, तो सर्वप्रथम जानकारी हुई कि बलवन्तसिंह के फौतेदगी म्युटेशन में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की प्रमाणित प्रति उसी रोज प्राप्त कर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर लीगल राय प्राप्त की तब अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील पेश करने हेतु सलाह दी तो अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता की फीस इत्यादि की व्यवस्था कर यह अपील तैयार करवाई जाकर श्रीमान् के समक्ष जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद प्रस्तुत की है। अपीलान्ट बलवन्तसिंह की पुत्री हैं जो उनकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी हैं। यह अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलान्ट को सूचना दिए, अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया गया हैं। जिस पर म्याद अधिनियम लागू नहीं होता हैं तथा छूट बाबत् अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 10.01.1983 जो ग्राम

सहायक कलेक्टर, बोलि

Scanned by CamScanner

पंचायत तापू द्वारा स्वीकृत किया गया, को आपास्त किया जाकर तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावें कि अपीलान्ट के पिता बलवन्तसिंह का फौतेदगी म्युटेशन उनके सभी विधिक उतराधिकारीयों की पूर्ण जांच कर अपीलान्ट का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ दर्ज किया जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किया जावें उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता चन्दनसिंह भाटी उपस्थित तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस पक्षकारान सुनी गई, अपील अपीलान्ट की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। संलग्न अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 10.01.1983 जो ग्राम पंचायत तापू द्वारा स्वीकार किया गया, का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहक के समर्थन में आर.आर.टी 2008(1) पेज 1406, आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1408, आर. आर.टी. 2009(2) पेज 1280, आर.आर.टी. 2002(1) पेज 648 दृष्टांत प्रस्तुत किये गये इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से डीएनजे(एससी)2015 पेज 1088, आरआरटी 2001(1) पेज 77 दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अपने पिता बलवन्तसिंह के फौतेदगी नामान्तरकरण को जायन्दा पुत्री होने के नाते चुनौती दी है तथा बलवन्तसिंह के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा होना स्पष्ट उल्लेख किया है तथा अपील देरीना पेश बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसमें अपील देरीना पेश करने बाबत् कारण उल्लेख किया गया है। इसके विरोध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में केवल मात्र अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया है। लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पूर्व में अपीलानधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट होने बाबत् प्रस्तुत नहीं किये है बलवन्तसिंह की पुत्री नहीं होने का भी कोई उल्लेख अपने जवाब प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। इस प्रकार अपीलान्ट बलवन्तसिंह की जायन्दा पुत्री होना स्पष्ट है तथा बलवन्तसिंह के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में इस प्रकार का उल्लेख किये केवल मात्र चेनसिंह को पुत्र बताकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। जो गलत है। इस प्रकार केवल मात्र चेनसिंह के नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया है।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट भी बलवन्तसिंह की पुत्री प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, बिना उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधिन नामान्तरकरण जो दर्ज किया गया है उसमें म्याद का बिन्दू सारहीन है तथा मेरिट पर अधिनिर्णीत किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा होते है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर म्याद मानी जाती है। इस प्रकार मृतक बलवन्तसिंह के उत्तराधिकारियों की जांच की जाकर नये सिरे से अपीलान्ट का नाम शामिल करते हुए नामान्तरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 477 अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 477 जो दिनांक 10.01.1983 को ग्राम पंचायत तापू द्वारा स्वीकृत किया गया, को आपास्त किया जाकर तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व खातेदार बलवन्तसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर अपीलान्ट पेपकंवर व अन्य उत्तराधिकारियों के नाम से नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया हावें।पालना बाबत् तहसीलदार ओसियां को पत्र जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 22/11/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
ओसियां

Scanned by CamScanner